कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सामान्य गुना (म.प्र.)

क्रमांक / डी.एम / 2022 / 5072 गुना दिनांक / 24/5/2022
प्रति,

Manager,
Telesonic Ltd. 3rd & 4th Floor, Scheme No. 54 A.B. Road,
Metro Towar Near Vijay Nagar square
Indore Madhya Pradesh

विषय :— गुना जिले में Telesonic Network Ltd. द्वारा Guna-MP/Rj Border में भूमिगत ओ.एफ.सी. लाईन डालने हेतु 0.3 हेक्टेयर वनभूमि के प्रस्ताव में स्वीकृति जारी करने के संबंध में (FP/MP/OFC/47972/2020)

संदर्भ :— आपका पत्र क्रमांक /TNL/ROW/OFC/M.P/Guna-MP/RJ Border/Forest/03 Date 27-07-2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के संलग्न प्रेषित एलाइन्मेंट का संबधित वन परिक्षेत्राधिकारी गुना दक्षिण से स्थल निरीक्षण कराया गया। उप वनमण्डलाधिकारी गुना से प्राप्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार प्रश्नाधीन क्षेत्र के सर्वेक्षण में प्रस्तावित ओ.एफ.सी लाईन डाले जाने के संबंध में निम्न वनक्षेत्र प्रभावित होता है। विवरण निम्नानुसार है —:

क्रमांक	वन परिक्षेत्र	बीट	कक्ष क्रं.	ओ.एफ.सी.लम्बाई मी. में	चौड़ाई मी.	क्षेत्रफल हेक्टर में
1	गुना दक्षिण	बेरखेड़ी	P 317	600	0.30	0.0180
2			P 318	2325	0.30	0.0697
3			RF 188	750	0.30	0.0225
4			RF 190	1200	0.30	0.0360
			कुल योग	**4875**	**0.30**	**0.1462**

उपरोक्तानुसार वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के निर्धारित प्रारूप पर चैक लिस्ट अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने के उपरांत म.प्र.शासन वनविभाग के पत्र के पत्र कमांक / एफ / 5 / 18 / 2002 / 10—3 दिनांक 18 नवम्बर 2004 एवं पत्र क्रमांक / एफ—5—11 / 2006 / 10—11 दिनांक 31.05.2014 में दिए गए निर्देशानुसार मुख्य वन संरक्षक शिवपुरी वृत्त शिवपुरी के संदर्भित पत्र से प्राप्त अनुमोदन उपरांत विकासखण्ड गुना अन्तर्गत उपरोक्त वनक्षेत्र में **R.O.W के तहत भूमिगत ओ.एफ.सी. लाईन** लाईन डालने की सैद्धांतिक अनुमति निम्नलिखित शर्तो क अधीन प्रदान की जाती हैं—

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिविर्तत नहीं होगा। अर्थात प्रकरण संरक्षित / आरक्षित वन का होने से वनभूमि सरंक्षित / आरक्षित वन ही रहेगी।
2. वनभूमि की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग किनारे राईट ऑफ **R.O.W** वे के तहत ही दी जावेगी
3. भूमिगत ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खंती का आकार 1.65 मीटर गहरा तथा 0.30 मीटर चौडाई से अधिक नहीं होगा।
4. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जावेगा।
5. समतलीकरण का कार्य आवेदित संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खंती से निकाली गई मिट्टी से किया जावेगा ।

6. खंती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पंहुचाई जावेगी तथा खंती में आने वाले वृक्षो की जड़ों को नहीं काटा जावेगा।

7. आवेदित संस्थान / ठेकेदार द्वारा वन या वनभूमि को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुचाईं जावेगी।

8. उपयोगकर्ता अभिकरण व्यपर्तित भूमि तथा उसके चारों ओर के क्षेत्र में जीव–जन्तु व वनस्पति को होने वाले नुकसान के लिये जिम्मेदार रहेगा तथा उनको संरक्षित सभी आवश्यक उपाय भी करेगा।

9. यह वनभूमि प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट कार्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य उपयोग में नहीं ली जा सकेगी। भूमि के प्रयोजन में बगैर केन्द्र शासन के पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का परिवर्तन वन सरंक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन माना जावेगा।

10. वनो के संरक्षण, अनुरक्षण तथा संर्वधन हेतु राज्य शासन, वन विभाग अथवा भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम क्षेत्रीय) भोपाल द्वारा समय–समय पर अधिरोपित की गई अन्य शर्तो का पालन उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा किया जावेगा।

11. वनक्षेत्र में श्रमिक कैम्प नहीं लगाये जावेगें।

12. उपयोगकर्ता अभिकरण से यह वचन पत्र लिया जावे की वन सरंक्षण की दृष्टि से राज्य शासन / केन्द्र शासन द्वारा भविष्य में कोई शर्त लगाई जाती है तो वह मान्य होगी।

13. **Cable Line** मुख्य मार्ग के किनारे एवं समान्तर में ही डाला जायेगा। **Cable** की दूरी छोटा करने हेतु मुख्य मार्ग के किनारे को छोड़कर अन्य वन भूमि का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

(हेमन्त कुमार रायकवार)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

पृ.क्रमांक / डी.एम. / 2022 / 5073 गुना, दिनांक / 24/5/2022

प्रतिलिपि–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन म.प्र. भोपाल की ओर आपके पत्र क्र. / एफ–5 / विविध / 2021 / 10–11 / 1470 दिनांक 18.05.2022 के पालन में सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य वनसंरक्षक शिवपुरी वृत शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
3. उप वनमण्डलाधिकारी गुना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
4. वन परिक्षेत्राधिकारी गुना दक्षिण की ओर सूचनार्थ लेख है कि स्थल पर उपरोक्त शर्त अनुसार ही कार्य किया जावे, सुनिश्चित करें ।

(हेमन्त कुमार रायकवार)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना